राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म तामील नंबर व तारीख

राजस्व विविध सं. 16/2015 कमलादेवी वगैरा बनामः कांतिलाल वगैरा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955

———

दिनांक 23.06.2017

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–न्यायालय हाजा सुमेरपुर में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना के अनुरूप सुलभ न्याय हेतु पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति एवं साक्ष्य–दस्तावेजात पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि सरहद मौजा सुमेरपुर पटवार सर्कल सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 38/8 रकबा 0.7767 हेक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम एवं आम रास्ता खसरा नं. 38/12 के बारे में वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति को संबंधित मूल राजस्व वाद सं. 20/2015 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधान के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा सुमेरपुर पटवार सर्कल सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 38/8 रकबा 0.7767 हेक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम एवं आम रास्ता खसरा नं. 38/12 के बारे में वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति को संबंधित मूल राजस्व वाद सं. 20/2015 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त आदेश से दोनों पक्षकारान पाबंद रहेंगे, सूचित रहे।

यह आदेश राजस्व लोक अदालत केम्प–न्यायालय हाजा सुमेरपुर में बरोज आज दिनांक 23.06.2017 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो व संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 20/2015 के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner